

बच्चे एवं पालक
आवेदक/आवेदको के
वर्तमान फोटो

आवेदन पत्र

बाच्चे की जानकरी :-

1. नाम :-
2. जन्म दिनांक :-
3. आयु :-
4. शैक्षिक स्थिति :-
5. आधार नंबर :-
6. धर्म/जाति :-
7. मातृ भाषा :-
8. माता का नाम :-
9. पिता का नाम :-
10. माता - पिता की स्थिति (मृत/जीवित किन्तु जेल में व छोड़ कर चले गये/एकल माता व पिता) :-

पालक आवेदक का विवरण :-

1. नाम :-
2. जन्म दिनांक :-
3. आयु :-
4. शैक्षिक स्थिति :-
5. वैवाहिक स्थिति :-
6. धर्म/जाति :-
7. आधार नंबर :-
8. व्यवसाय :-
9. पता :-
10. सम्पर्क नंबर :-
11. वार्षिक आय :-
12. मातृ भाषा :-
13. जैविक बच्चों की संख्या, नाम एवं आयु :-

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रायोजन हेतु आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :- (छायाप्रति)

| क्र. | पहचान पत्र | वर्तमान स्थिति (कृपया जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं) | | रिमार्क |
|------|---|--|------|---------|
| | | हाँ | नहीं | |
| 1. | जन्म प्रमाण पत्र | | | |
| 2. | स्कूल प्रमाण पत्र | | | |
| 3. | जाति प्रमाण पत्र | | | |
| 4. | बी.पी.एल कार्ड | | | |
| 5. | विकलांगता का प्रमाण पत्र | | | |
| 6. | टीकारण कार्ड | | | |
| 7. | राशन कार्ड | | | |
| 8. | आधार कार्ड | | | |
| 9. | सरकार से प्रतिकर प्राप्त हुआ | | | |
| 10. | मृत्यु प्रमाण पत्र माता/पिता/माता-पिता | | | |
| 11. | बालक के बैंक खाते की प्रति | | | |

1. आयु एवं निवास प्रमाण पत्र :- बालक एवं पालक दोनों का आधार कार्ड, बालक का जन्म प्रमाण पत्र, पालक का ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर कार्ड/बिजली का बिल आदी।
 2. स्कूल प्रवेशित होने का प्रमाण पत्र। (5 वर्ष की आयु तक के बालक का आंगनवाड़ी में पंजीय क्रमांक व 5 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बालक का स्कूल का प्रमाण पत्र)
 3. जाति प्रमाण पत्र :- यदि बालक एवं पालक SC/ST/OBC में आते हैं तो उनका जाति प्रमाण पत्र।
 4. गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र:- पालक का राशन कार्ड। (यदि बालक के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो तो लागू नहीं।)
 5. बालक के माता/पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (लागू होने पर)।
 6. बच्चे एवं अभिभावक का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र (जिसमें यदि असाध्य बीमारी हो तो उसका विशेष रूप से उल्लेख हो।)
 7. वर्तमान का फोटो बच्चे एवं पालक का।
 8. समग्र आई.डी. यदि हो तो।
 9. बैंक खाते की जानकारी। (बालक का पालक माता/पिता के साथ या बालक का प्रथक/नहीं है तो पालक माता के साथ बैंक खाते की छायाप्रति उपलब्ध करावे)
उक्त समस्त संलग्न दस्तावेजों पर आवेदक हस्ताक्षर कर प्रेषित करें।
- नोट :- समस्त दस्तावेजों को प्रमाणित कर प्रेषित करें।**

आवेदक के हस्ताक्षर

बच्चे एवं पालक
आवेदक/आवेदको के
वर्तमान फोटो

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी,

महिला एवं बाल विकास,

जिला भोपाल, म.प्र.,

विषय :- बालक/बालको को स्पॉन्सरशिप/फोस्टर
केयर योजना में लाभ दिलाने बावत्।

महोदय,

निवेदन है कि मैं पुत्र/पुत्री/पत्नि
आयु वर्ष बालक/बालको के लिए स्पॉन्सरशिप/फोस्टर
केयर योजना के तहत लाभ चाहता/चाहती हूँ, क्योंकि उक्त बालक/बालको के
माता/पिता/माता-पिता दोनो का स्वर्गवास हो चुका है/छोड़ कर जा चुके है और मैं
(व्यवसास की विवरण)का काम करता/करती हूँ और आर्थिक रूप
से सक्षम नहीं हूँ। एक/दोनों बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का भार मुझ पर ही है। इस स्थिति
को देखते हुए आपसे निवेदन है कि एक/दोनों बच्चों को योजना का लाभ प्रदान करने का
कष्ट करें।

धन्यवाद

दिनांक.

हस्ताक्षर :-

आवेदक का नाम :-

पता :-

.....

मोबाइल नं. :-